



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

आरोपी राशिद को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 87 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2002 में अभियुक्त राशिद पुत्र जाहिद निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 01/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.12.2024 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राशिद को दोषी पाते हुए 87 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 17.12.2024

**बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-कलवा उर्फ कृष्ण पुत्र हवलदार निवासी ग्राम खड्डा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

2-जितेन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना चाँदीनगर पुलिस टीम ।

2-थाना खेकडा पुलिस टीम ।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 17.12.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 32 पैकेट देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 32 पैकेट देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवकुमार पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम सहवानपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 32 पैकेट देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

2-है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

3-है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर, जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 17.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 525/24 धारा 109/351(2)/352/3(5)  
B.N.S. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.08.2024 को थाना बडौत पर वादी आशीष पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.विककी उर्फ मालु, 2.आयुष निवासीगण ग्राम बाबली थाना बडौत जनपद बागपत व इनके कुछ अज्ञात साथियों द्वारा वादी के भतीजे अक्षय तोमर व वादी के भतीजे के दोस्त रोनक को जानसे मारने की धमकी देते हुये फायर किया गया, जिससे वादी के भतीजा गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 525/24 धारा 109/351(2) बीएनएस पंजीकृत में पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 525/24 धारा 109/351(2)/352/3(5) B.N.S. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 14.08.24 को एक अभियुक्त विककी उर्फ मालू पुत्र कृष्णपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

आयुश पुत्र पिंटु उर्फ विरेन्द्र निवासी पट्टी गोपी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपता।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 श्री बीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपता।
- 2.है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपता।
- 3.है0का0 316 नागेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपता।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 17.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब तस्करी एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 846/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समद पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 48 पच्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 विकास कुमार मय मय थाना बडौत जनपद बागपता।
- 2- है0का0 111 मुन्नालाल थाना बडौत जनपद बागपता।
- 3- का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपता।

